राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 30 नवम्बर, 2015 / 9 अग्रहायण, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 नवम्बर, 2015

नस्ति संख्याः रैव0बी.ए.(3)–3/2014–II.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 के नियम 4 के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई (यूनिट) के गठन को निम्न प्रकार से अधिसूचित करते हैं :–

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 नवम्बर, 2015

संख्याः रैव0बी.ए.(3)–3/2014–भाग–III.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 50 के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न प्रकार से 'राज्य अनुश्रवण कमेटी' का गठन करते हैं; अर्थात् :–

1.	वित्तायुक्त (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार।	अध्यक्ष
2.	निदेशक, भू–अभिलेख, हिमाचल प्रदेश	सदस्य सचिव
3.	विशेष सचिव (आपदा प्रबन्धन) हिमाचल प्रदेश सरकार।	सदस्य
4.	निदेशक, ऊर्जा विभाग, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
5.	मख्य अभियन्ता, लोक निर्माण	सदस्य
6.	मुख्य अभियन्ता, आपदा प्रबन्धन, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजैक्ट एवं इन्वेस्टीगेशन–1 सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग	सदस्य
8.	भू–अर्जन अधिकारी, शिमला मण्डल	सदस्य
9.	संयुक्त निदेशक(विधि)/जिला न्यायवादी, हि0प्र0 लोक निर्माण मुख्यालय, शिमला	सदस्य
10.	सक्षम प्राधिकारी, भू–अर्जन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पंडोह, जिला मण्डी	सदस्य
11.	सामाजिक विकास अधिकारी एचपीआरआईडीसी, शिमला	सदस्य
12.	मुख्य विज्ञान अधिकारी, पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य

आदेश द्वारा,
तरुण श्रीधर
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ।

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. Rev.B.A(3)-3/2014-Vol.III dated 27-11-2015 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India*].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 27th November, 2015

File No. Rev.B.A(3)-3/2014-III.—In exercise of the powers conferred upon him under section 50 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the constitution of the State Monitoring Committee, namely.—

1.	The Financial Commissioner (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh.	Chairman
2.	The Director, Land Records, Himachal Pradesh	Member Secretary
3.	The Special Secy. (Disaster Management), to the Govt. of Himachal Pradesh	Member
4.	The Director of Energy, Shimla	Member
5.	Engineer-in-Chief(PWD)	Member
6.	Chief Engineer(D&M), IPH Deptt.	Member
7.	Superintending Engineer, Project and Investigation-I, IPH Deptt., Shimla.	Member
8.	Land Acquisition Collector (Shimla Zone)	Member
9.	Joint Director(Legal)/Distt. Attorney, HPPWD Headquarters, Shimla.	Member
10.	Competent Authority for Land Acquistiion, National Highway Authority of India, Pandoh, Distt. Mandi	Member
11.	Social Development Officer, HPRIDC, Shimla-2.	Member
12.	Chief Scientific Officer, Department of Environment Scientific Technology	Member

By order,
TARUN SHRIDHAR
Addl. Chief Secy. (Revenue).